न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या 70 / 2024
किस्म :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक : 14.06.2024
निर्णय दिनांक 29.04.2026

अनवान

1– खैरूननिशां पत्नि मुबारक शाह जाति फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1– तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–
प्रार्थी अधिवक्ता– रोशनलाल साहु
विपक्षी – पैरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमियाँ राजस्व ग्राम कुरज तहसील रेलमगरा की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2077 के खाता संख्या 209 में अराजी संख्या 3303, 6271 / 3303 कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.2914 हैक्टेयर कृषि भूमियाँ स्थित है प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीया की उक्त आराजी संख्या 3303 व 6271 / 3303 की दक्षिणी दिशा में आराजी संख्या 3309 रकबा 0.3723 हैक्टेयर किस्म बंजर उसर होकर उक्त भी बिलानाम भूमि है तथा उक्त आराजी संख्या 3309 बिलानाम भूमि के दक्षिण–पूर्वी कोने से एक बिलानाम रास्ता स्थित है जहाँ से उक्त बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 3312 से होकर प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के खातेदारी कृषि आराजी संख्या 3309 के दक्षिण–पूर्वी कोने से प्रार्थीया के खातेदारी कृषि आराजी संख्या 3303 में प्रविष्ट होकर उसी आराजी के आगे स्थित प्रार्थीया की आराजी संख्या 6271 / 3303 में आना–जाना होता है जो उक्त रास्ते की भूमि जो बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 3312 से आगे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पुनः उत्तरी दिशा की ओर प्रार्थीया की उक्त आराजीयात तक आने–जाने तथा हल, बैल, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये उक्त आराजी संख्या 3309 में से कुछ भूमि का उपयोग–उपभोग रास्ते के रूप

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

में अपने खेतों की हँकाई बुवाई व निराई–गुड़ाई तथा फसल आदि लाने ले जाने के लिये उपयोग में लिया जाता रहा है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते की भूमि आराजी संख्या 3309 किस्म बंजर उत्तर होकर बिलानाम भूमि होने से उक्त सम्पूर्ण रकबे में से भूमि 18 अठारह फीट चौड़ाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई जो बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 3312 से प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 3303 में प्रविष्ट होने तक का भू–भाग 18 अठारह फीट चौड़ाई का हिस्सा प्रार्थीया रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहती है इस हेतु यह प्रार्थनापत्र विधि अनुसार विपक्षी महोदय के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है इस हेतु आप न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना के लिये प्रार्थीया सदैव तैयार एंव तत्पर है। यह कि वर्तमान में उक्त रास्ते के रूप में प्रार्थीया द्वारा काम में ली जा रही है उसके अलावा प्रार्थीया के उक्त आराजीयात में आने–जाने के लिये उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है एवं न ही अन्य कहीं राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज है ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित रास्ते को ही 18 अठारह फीट चौड़ाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई तक राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में अंकन कराना चाहती है इस हेतु प्रार्थीया की ओर से विपक्षी महोदय के यहाँ निवेदन किया गया फिर भी प्रार्थीया की विपक्षी द्वारा रास्ते के रूप में भूमि दर्ज करने से इंकार करते हुए समुचित न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया जिससे प्रार्थीया की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध नहीं होने से उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक हो गया है। यह कि प्रार्थीया के खातेदारी आराजी संख्या 3303 व आराजी संख्या 6271/3303 पर आवागमन एंव हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिये बिलानाम भूमि आराजी संख्या 3309 में से आवागमन हेतु उक्त भुमि रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से विपक्षी महोदय द्वारा आज से 10 दिन पूर्व इंकार कर देने से प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र का हेतुक आज से 10 दिन पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुरज तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से एंव उक्त प्रार्थनापत्र धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्ररतुत किये जाने से प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की कृषि आराजी संख्या 3303 व 6271/3303 में आवागमन हेतु 18 अठारह फीट चौड़ाई एंव सम्पूर्ण लम्बाई में रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 3309 में आराजीयात तक स्वीकार फरमाते हुए उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया जावे। इस हेतु आप न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना करने हेतु प्रार्थीया तैयार एंव तत्पर है ताईद में शपथपत्र पेश है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गये। विपक्षीगण बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी रास्ते के सम्बन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें यह बताया कि प्रार्थीया को मांग किये गये रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वर्तमान में प्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि पर आने जाने हेतु इसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 46 मीटर व चौडाई 5.18 मीटर होकर कुल रकबा 238 वर्गमीटर भूमि रास्ते से प्रभावित होगी। प्रस्तावित रास्ता नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई पेड, पौधे, निर्माण नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ता सी.सी. सडक से लगा हुआ है व सी.सी. सडक कुरज से खण्डेल एन. एच. से मिली हुई है। प्रस्तावित रास्ते की एन.एच. से दूरी 76 मीटर है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर अनुसार गणना रिपोर्ट टी0 आर0 ए0 शाखा से ली गई जिसके अनुसार वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दर 69,56,000/रूपये प्रति हैक्टेयर से रकबा 238 वर्गमीटर भूमि की दो गुणा राशि 3,31,200/ रूपये बनते है।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थीया की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी मौका जांच रिपोर्ट अनुसार रास्ता चाहिये। इसी रास्ते को उपयोग में ले रहे है। इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें। राजकीय शुल्क प्रार्थीया अदा करने को तैयार है। विपक्षी ने उक्त रास्ता बन्द करना चाहता है। प्रार्थीया की जमीन इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता विपक्षी से किमतन प्रार्थीया को दिलवाया जावे, प्रतिकर नियमानुसार अदा करने को तैयार है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता प्रार्थीया को प्रदान कराया जावे तथा राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते के क्षेत्रफल को बिलानाम रास्ते के रूप में अंकन करवाया जावे । उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। दौरान बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि प्रार्थीया की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया जो आराजी संख्या 3309 में से चाहा गया। आराजी संख्या 3309 में से जो रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वह रास्ता आराजी संख्या 3309 के बीच में रास्ते की लम्बाई 46 मीटर व चौडाई 5.18 मीटर होकर कुल रकबा 238 वर्गमीटर प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते पर

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेल...

कोई पेड, पौधे, निर्माण नहीं हैं। तो बीच में क्यों प्रस्तावित कर सम्पुर्ण आराजी को खराब कर दिया गया है। उक्त आराजी के बीच में रास्ता प्रस्तावित किये जाने की कोई स्प ट रिपोर्ट प्रस्तुत नही कि गयी। जिससे सम्पुर्ण आराजी प्रभावित होकर बाद किसी राजकार्य हेतु आवटंन/आरक्षित होने पर समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' का अस्वीकार फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंव बहस तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक(कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा